

6/4/17

मसूदा (अजमेर)

वकील वादीगण अनुपरिचित। स्वयं वादीगण अनुपरिचित उन्हें पूरे
इज्जतियत तक तब तक कर कर आवकें लागवाई गई परन्तु इनकी
अंतर से कोई अदालत उपरिचित नहीं आया। वकील प्रतिवादी सख्त
। पुनरिचित उन्हें वादीगण की अनुपरिचित से बाद खारिज करे का
निवेदन किया। वकील प्रतिवादी का निवेदन स्वीकार योग्य होने
से स्वीकार किया जाता है। इन प्रकार अदम पैरवी अदम
हाजिरी के खारिज कीया जाता है। मिसल पैरवी शुमार से कर
नम्बर से कम है। बाद नामिल वकील एकर दाखिल है।

उपसुपड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

2

